परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक 222 चैकिंग सेल/19 – 21 प्रवर्तन/96 दिनांक : 15 जून, 2019

सेवा में,

मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0)
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ।

विषयः बिना टिकट यात्रियों पर अंकुश लगाये जाने से सम्बन्धित निर्देश बसों के अन्दर अंकित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि बिना टिकट यात्रियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु अन्य उपायों के साथ यह भी आवश्यक है कि बस यात्रियों को बिना टिकट यात्रा किये जाने से मोटरयान अधिनियम 1988 का उल्लंघन होता है तथा निगम को भी आय की क्षति होती है। उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी बसों में इस आशय का उल्लेख करते हुए उपयुक्त स्थान पर बस के अन्दर यात्रियों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशों का उल्लेख कर दिया जाय जो निम्नवत हैः–

बिना टिकट यात्रा करना दण्डनीय अपराध है,
पकड़े जाने पर किराये के अतिरिक्त रू0 500 जुर्माना वसूला जायेगा

अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त निगम/अनुबन्धित बसों के अन्दर उपयुक्त स्थान पर एक सप्ताह में अंकित कराना सुनिश्चित करें।

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

प्रतिलिपिः–निम्नांलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–प्र0नि0/अ0प्र0नि0, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0/प्रा0) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0 उ0प्र0 परिवहन निगम।
5. गार्ड पत्रावली

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(सं0)

Downloaded from www.upsrtc.com